रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1982 (वैशाख 4, 1904)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 1982 (VAISAKHA 4, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	369
भाग I--खण्ड 2--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें .	539
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनायें .	7
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	559
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . .	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड 3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	743
भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनायें . .	1483
भाग II--खण्ड 3(iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	177
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश . .	91
भाग III--खण्ड 1--उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें . . .	5223
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें और नोटिस . . .	215
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें . .	105
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनायें जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1609
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . . .	111
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

31 GI/82

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	369
PART 1—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	539
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	559
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	743
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	1483
PART II—SECTION 3 (iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	177
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	91
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5223
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	215
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	105
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1609
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	111
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

* Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, दिनक 24 अप्रैल, 1982

नियम

सं० 6/9/82-के०से० 1—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1982 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिये प्रकाशित किये जा रहे हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) सहायक सामान्य संवर्ग का ग्रेड 1;

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड;

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड;

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड; और

(v) भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों में सहायकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं है ।

1. कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता कर सकता है ।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में बताई जायेगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों से अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951; संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश; 1951; (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956; संविधान (अण्डेमान और निकोबार द्वीपसमूह) (अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959; अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित; संविधान (दादरा और नागर हवेली अनुसूचित जाति आदेश 1962; संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 (संविधान) (अनसूचित जन जाति, उत्तर प्रदेश) 1967, संविधान (गोवा, दमन और दियू) अनसूचित जनजातियां, आदेश, 1968; संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970; संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश; 1978।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इस नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जायेगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

4 उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थाई रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थाई रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य के (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया और वियतनाम से आया हो ।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिये ।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिनके लिये पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही दिया जायेगा ।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का न हो; उसे तीन प्रयास से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी । यह प्रतिबन्ध वर्ष 1962 की परीक्षा के समय से लागू है ।

नोट 1:—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिये मान लिया जायेगा कि वह उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिये एक प्रयास कर चुका है ।

नोट 2:—यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः एक या अधिक विषयों में बैठा हो तो यह मान लिया जायेगा कि वह परीक्षा के लिये एक प्रयास कर चुका है ।

नोट 3—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उसके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जायेगा चाहे वह परीक्षा हेतु आयोग्य ठहरा दिया जाये । उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

6 (क) इस परीक्षा में बैठने के लिये यह आवश्यक है कि 1 जनवरी, 1982 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हुई हो अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1957 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1962 के बाद न हुआ हो ।

(अ) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कम से कम 3 वर्ष की लगातार तथा नियमित सेवा 1 जनवरी, 1982 तक कर लेने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ के मामले में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जा सकेगी ।

ऐसे पदों पर कार्य कर रहे उम्मीदवार जिनका पदनाम लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर घ नहीं है इस उप नियम के अन्तर्गत आयु में छूट पाने के पात्र नहीं होंगे भले ही उनके द्वारा धारित पद समान वेतनमान के ही क्यों न हों ।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष ।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष ।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष ।

(vi) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(viii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, युगांडा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंजानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो तो जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और भारत सरकार वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और कीनिया, युगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रवागित हो या जाम्बिया मलावी, जेरे और इथियोपिया से भारत मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गये रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष ।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई 1975 से पहले भारत नहीं आया है तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(xiii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और वियतनाम में वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा ही उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राज-दूतावास द्वारा जारी किया किया गया आपात काल का प्रमाणपत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 75 के बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल छः महीने के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक ।

(xvi) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और पहली जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(xvii) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और पहली जनवरी, 71 तथा 31 मार्च, 73 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

नोट :—जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया हो उसकी उम्मीदवारी कर रद्द कर दी जाएगी। यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं किन्तु आवेदन पत्र भेजते समय यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती हैं तो वह पात्र बना रहेगा। जो लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड 'ड' सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त है या जिसका किसी अन्य पद स्थानान्तरण हो जाता है किन्तु जिस पद से स्थानान्तरित हुआ है उस पर उसका लियन बना रहता है वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा।

7 उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान सभा मण्डल द्वारा नियमित किसी विश्व विद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पणी i—ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष हो रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी ii—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिये शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का हकदार है आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा

टिप्पणी iii —विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8 जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थाई या अस्थाई रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हो पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों या वे जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हैं उन सब को इस आशय का परिवचन (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिये आवेदन किया।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11 उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा-6 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो अथवा

(v) गलत या झूठे व्यक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो,

(x) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।

(xi) उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो।

(xii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक—

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

13 परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिये गये कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनायेगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिये अनुशंसा की जायेगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गये हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिये आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता-क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिये अनुशंसित किये जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त हों ।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाये इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे और आयोग परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं के अध्याधीन परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिये बताये गये वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जायेगा । यह आवेदन-पत्र आयोग द्वारा उसको तभी दिया जायेगा जब वह उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त घोषित कर दिया जाता है ।

16. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी । यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।

17 उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतरकम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति पास करनी होगी । यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सके तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाये और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियम किया जायेगा उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी परन्तु जितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा ।

18 जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है तो वह सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता-पूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाये । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किये जाने की संभावना है ।

20. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता इसके लिये आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाये कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है ।

21 भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट II में संक्षेप में दी गई हैं ।

साधुराम अहीर, अवर सचिव

परिशिष्ट I

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिये दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

क्र० सं०	विषय	कोड सं०	पूर्णांक	दिया गया समय
1.	निबन्ध	01	100	2 घंटे
2	अंग्रेजी—दो भागों में (I और II)		200	3 घंटे
	भाग I	02		1 घंटा
	भाग II	03		2 घंटे
3	अंकगणित	04	100	2 घंटे
4	सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल भी सम्मिलित है	05	100	2 घंटे

ध्यान दें :—यदि कोई उम्मीदवार अंग्रेजी प्रश्नपत्र के मामले में अनुमत समय सीमा में परीक्षा भवन में नहीं पहुंचता है और उसे भाग I परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जाता है तो वह उक्त प्रश्न पत्र की भाग II परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा ।

2. अंग्रेजी भाग I अंकगणित और सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है कि प्रश्न-पत्रों में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जायेंगे ।

3. परीक्षा का पाठ्यविवरण साथ अनुसूची में दिया गया है ।

4. उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 3 या प्रश्न पत्र 4 अथवा तीनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते हैं । प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा । निबन्ध, अंकगणित तथा सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है के प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जायेंगे ।

नोट 1—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिये होगा उसी प्रश्न-पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिये नहीं ।

नोट 2—उक्त प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 14 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए नहीं तो यह समझा जायेगा कि वे सभी प्रश्न-दलों का उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे ।

एक बार लिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

यदि उम्मीदवार प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर आवेदन पत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम में लिखते हैं तो उन उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

जो उम्मीदवार किसी या किन्हीं प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प दे चुके हैं वे अगर चाहें तो हिन्दी की तकनीकी शब्दावली यदि कोई हो, के साथ साथ अंग्रेजी पर्याय भी दे सकते हैं ।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6 आयोग अपनी विवेक पर परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

7 केवल सतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिए जायेंगे ।

8. खराब लिखाई के कारण प्रत्येक विषय के पूर्णांकों में से 5 प्रति शत तक अंक काट लिये जायेंगे ।

9. निबन्ध तथा अंग्रेजी भाग II में कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष श्रेय दिया जाएगा ।

10 प्रश्न पत्रों में, जहां आवश्यक हो, तोलों और मापों की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ।

11 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 1,2,3,4,5,6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

12. उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिये कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते । अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं ।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या

(1) निबन्ध (कोड सं० 01) :—दिये गये विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा ।

(2) अंग्रेजी

अंग्रेजी भाग I (कोड सं० 02)—प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा इस भाषा में सही तथा प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का पता चल सके ।

अंग्रेजी भाग II (कोड सं० 03)—प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनसे उम्मीदवारों की अच्छी अंग्रेजी-लेखन तथा सार लेखन की सामर्थ्य का पता चल सके ।

(3) अंकगणित (कोड सं० 04)—संख्याओं, आरेखों, प्रारम्भिक सांख्यिका तथा अंकगणित के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाएगा ।

(4) सामान्य ज्ञान : जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है (कोड सं० 05) सामाजिक घटनाओं का ज्ञान जो कुछ हम प्रतिदिन देखते हैं और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान जो एक साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे । इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं ।

परिशिष्ट-II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित विवरण जिनके लिये इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है ।

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)

विदेश मंत्रालय में और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक कौंसलर एवं वाणिज्यिक मिशनों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सम्मिलित हैं ग्रेड IV के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड, निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड	पदनाम	वेतनमान
ग्रेड i	मुख्यालयों में अवर सचिव विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर प्रथम और द्वितीय सचिव	रु० 1200-50-1600
समेकित ग्रेड ii और iii	मुख्यालयों में सहचारी (अताशे) अनुभाग अधिकारी विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में उपकौंसुल और रजिस्ट्रार	और रु० 650-30-740-35-810-ई०बी०-35-880-40-1000-ई०बी०-40-1200
ग्रेड iv	मुख्यालयों में तथा विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर सहायक	रु० 425-15-500-ई०बी०-15-560-20-700-ई०बी०-25-800

टिप्पणी—समेकित ग्रेड ii और iii में पदोन्नति सहायकों को कम से कम 710/- रु० मासिक वेतन दिया जाता है ।

2 भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड iv में सीधे भर्ती किये गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा । इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों । प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा सकता है ।

3 परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य किसी सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जो चाहे भारत में अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किए जाएं सेवा करने को बाध्य होंगे ।

5 विदेशों में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त संबद्ध देशों में निर्वाह-व्यय आदि के अनुसार समय-समय पर स्वीकृत की जाने वाली दरों पर विदेश भत्ता भी दिया जाता है । इसके अतिरिक्त भा० विदेश सेवा (पी०एण्ड०सी०ए०) नियमावली 1961 के अनुसार जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों पर लागू हो गई है, विदेशों में सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी प्राप्त हैं :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित मान के अनुसार सुसज्जित निःशुल्क आवास;

(ii) सहायता-प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अंतर्गत चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं;

(iii) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लिए गृह अवकाश-यात्रा;

(iv) सरकार द्वारा यथा परिभाषित आपातकाल जैसे भारत में किसी निकट संबंधी की मृत्यु अथवा गंभीर बीमारी के समय भारत जाने और विदेश में कार्य-स्थल पर वापस लौटने के लिए आने-जाने का एकल हवाई यात्रा व्यय जो पूरी सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक दो बार मिलेगा;

(v) भारत में क्षेत्रीय शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत 6 से 22 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कुछ शर्तों पर छुट्टियों के दौरान अपने माता-पिता के पास आने जाने के लिए वार्षिक हवाई-यात्रा व्यय;

(vi) उक्त अधिकारी की विदेश में तैनाती स्थल पर अध्ययनरत 5 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा का व्यय जो अधिकतम दो बच्चों तक मिलेगा, कुछ शर्तों के अधीन सरकार द्वारा वहन किया जाता है;

(vii) विदेश में प्रति तैनाती पर रु० 1750/- परिमज्जा भत्ता, जो सारी सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक 8 अवसरों तक मिलेगा ।

6 भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा 'ख') (भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति), नियमावली, 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सरकार भविष्य में बनाए और उक्त सेवा पर लागू करे ।

7 भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग सहायक के ग्रेड IV में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा) ख (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली 1964 में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे ।

नोट—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड I के अधिकारियों के लिए भारतीय विदेश सेवा (क) के रु० 1200-50-1300-60-1600-द०रो०-60-1900-100-2000 के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए सीमित कोटा उपलब्ध है ।

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस समय निम्नलिखित 4 ग्रेड हैं—

1 चयन ग्रेड (उपसचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1500-60-1800-100-2000

2. ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1200-50 1600 ।

3. अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 ।

4 सहायक ग्रेड—रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द०रो०-25-800 ।

टिप्पणी :—अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति सहायक कम से कम 710/-रु० प्र० मा० वेतन प्राप्त करते हैं सहायक के रूप में सीधे भर्ती हुए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसी परिवीक्षाएं देनी होंगी जो सरकार निर्धारित करे । यदि वे प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखा सके और परिक्षाएं पास न कर सके तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है ।

परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

उक्त सेवा के सहायक ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की तरह अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किए जा सकते हैं ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस नियमों के अन्तर्गत भर्ती हुए अधिकारी :—

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, और

(ii) गैर-अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उक्त निधि में अंशदान करेंगे जोकि रेल कर्मचारियों पर उनके सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से लागू हो जाते हैं ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नियुक्त कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पास और पी०टी०ओ० के हकदार होंगे ।

जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं ।

(iii) (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे 4 ग्रेड हैं—

(1) चयन (सिलेक्शन) ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

(2) ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1200-50-1600 ।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 ।

(4) सहायक ग्रेड—रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800 ।

नोट—जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं, उन्हें कम से कम 710 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा मुक्त किया जा सकता है ।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है । तथापि उन्हें किसी भी समय किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, वे अपनी इस नियुक्ति के बाद किसी अन्य संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे ।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड		वेतनमान
(1) चयन ग्रेड (संयुक्त निदेशक या वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अफसर) (ग्रुप क)	रु०	1500-60-1800
(2) सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप क)	रु०	1100-50 1600
(3) सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप ख—राजपत्रित)	रु०	650-30-740-35-810-द०रो-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200
(4) सहायक (ग्रुप ख—अराजपत्रित)	रु०	425-15-500 द० रो०-15-560-20-700-द०रो०-25-800

नोट :

(1) सहायक ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड में पदोन्नत होने पर सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 710 रु० का आरम्भिक वेतन दिया जाएगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा में रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को किसी सेना मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल हो गए अन्तर सेना संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जाएगा। तथापि उन्हें किसी भी समय इसी प्रकार के किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गये हैं उनका ऐसी नियुक्ति के उपरान्त इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 1982

संकल्प

सं०-वी० 19012/4/79 एम० टी० पी० एण्ड ओ० पी०

1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 15 सितम्बर, 1977 के संकल्प संख्या एन० 11014/4/77-नसबन्दी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र से संबंधित सभी तकनीकी समस्याओं पर सरकार को सलाह देने के लिए, समिति का पुनर्गठन किया जाए।

2. इस पुनर्गठित समिति के सदस्य इस प्रकार होंगे :—

1. अपर सचिव एवं आयुक्त (परिवार कल्याण)	अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
3. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
4 महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
5. अध्यक्ष, फडरेशन ऑफ आवसटट्रीशियन्स एण्ड गयनाकोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इण्डिया अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6. अध्यक्ष, सर्जन्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
7. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसियशन अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
8. अध्यक्ष, आल इण्डिया पेडियाट्रिक्स एसोसियशन, अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
9. डा० बालरामन, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, केरल, त्रिवेन्द्रम।	सदस्य
10. डा० बी० एम० शर्मा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
11. डा० आर० पी० सूनावाला, नवरोजजी वाडिया मैटरनिटी हास्पिटल, आचार्य दोण्डे मार्ग, परेल, बम्बई।	सदस्य
12. डा० एस० एन० गुप्ता, विशेष सचिव (स्वास्थ्य विभाग) उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।	सदस्य
13. डा० (कुमारी) एम० कोछर, चिकित्सा अधीक्षक, कस्तूरबा हास्पिटल, दिल्ली।	सदस्या
14 डा० (कुमारी) लीला पाठक, जेल के नजदीक, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।	सदस्या
15 डा० दीपक भाटिया, सलाहकार, फैमिली प्लानिंग, फाउन्डेशन, नई दिल्ली।	सदस्य
16. डा० (श्रीमती) सूसन जार्ज, सेंट थामस मिशन हास्पिटल, कोट्टायम, केरल।	सदस्या
17 डा० आत्म प्रकाश, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	सदस्य
18 डा० जे० एस० सक्सेना, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, कर्नाटक, बंगलौर।	सदस्य
19. डा० आई० एस० पाटिल, उपाध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, कर्नाटक, बेलगाव।	सदस्य
20. डा० एस० डी० सहगल, उप-महानिदेशक	सदस्य
21. उपायुक्त, (मातृ-शिशु स्वास्थ्य)	सदस्य
22. डा० एस० एन० मुखर्जी, उपायुक्त	सदस्य सचिव

3. इस समिति के विचारार्थ विषय होंगे, क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम खासकर लूप निवेशन और नसबन्दी प्रक्रियाओं, चिकित्सा द्वारा गर्भ-समापन और मुखसेव्य गर्भनिरोधकों से संबंधित सभी समस्याओं जिसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक और तकनीकी पहलू भी शामिल हैं, पर विचार करना और उनके बारे में सरकार को सलाह देना।

4. इस समिति के पास कार्यक्रम से संबंधित पहलुओं के विशेषज्ञों को अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए सहयोजित/आमंत्रित करने की शक्ति होगी।

5. इस समिति की अवधि दो वर्ष होगी।

6. इस समिति के सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों के संबंध में उन नियमों जिनसे वे प्रभावित होते हैं, के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता मिलेगा और इस पर होने वाला खर्च उस स्रोत से पूरा किया जायेगा, जहां से उन्हें वेतन मिलता है। गैर-सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता एस० आर० 190 के अनुसार नियमित किया जायेगा और जैसा कि स्वामी के कम्पाइलेशन ऑफ एफ० आर० के परिशिष्ट 10 और एस० आर० भाग 1 और भाग 2 में कहा गया है, के अनुसार आदेश जारी किये जायेंगे।

7. इस पर होने वाला खर्च मांग संख्या 46-परिवार कल्याण, मुख्य शीर्ष 281 क-परिवार कल्याण क-1 निर्देशन और प्रशासन, क-1(1) मुख्यालय में तकनीकी विंग, क-1(1)(3)-यात्रा व्यय 1981-82 के अन्तर्गत मंजूर किए गए बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये।

जे० एम० बैंजल, अपर सचिव एवं आयुक्त (प०क०)

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1982

सं० एस०-19015/9/81 आई० एच०--भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों को 1.00 लाख डालर की सहायता देने के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के प्राधिकारियों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। उक्त करार की धारा 4.1 (सी) के अनुसरण में भारत सरकार ने एक अनुदान समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(1) डा० एस० एस० सिद्धू, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।	अध्यक्ष
(2) डा० आई० डी० बजाज, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक।	सदस्य
(3) श्री आर० आर० गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।	सदस्य
(4) श्री यू० वैद्यनाथन, सलाहकार (स्वास्थ्य), योजना आयोग।	सदस्य
(5) श्री योगेश चन्द्र, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।	सदस्य
(6) श्री एम० एस० दयाल, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय।	सदस्य
(7) उप-सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रभारी परियोजना-सचिवालय।	सदस्य-सचिव

2. समिति को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह आवश्यक समझे जाने पर अन्य सरकारी सदस्यों को सहयोजित करे।

3. इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :--

(i) उप-अनुदान मंजूर करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के बारे में सचिवालय को सलाह देना।

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों के आवेदनों पर विचार करना और उप-अनुदानों की मात्रा तथा फंडिंग के बारे में निर्णय लेना।

(iii) सचिवालय द्वारा उप-अनुदानों के एक या अनेक प्रस्तावों पर विचार कर लेने पर उन्हें रिलीज करने के बारे में निर्णय लेना।

(iv) उप-अनुदानों की सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाओं की मानिटरिंग और मूल्यांकन करने के लिये उपयुक्त तंत्र बनाना।

नोट -- ऊपर (i) और (iii) में उल्लिखित शब्द "सचिवालय" विशेष प्रशासनिक अनुभाग से अभिप्रेत है जिसे इस परियोजना को चलाने के लिये स्थापित करने का विचार है।

4. अनुदान समिति सभी उपानुदानों का अनुमोदन करने वाली संस्था होगी तथा इस करार के कार्यान्वयन के लिये समग्र रूप से जिम्मेदार होगी। सहायता प्राप्त सभी परियोजनाओं की मानिटरिंग और उनके मूल्यांकन के लिये भी यह समिति पूरी तरह जिम्मेदार होगी। इसके अलावा यह समिति इस परियोजना के प्रशासन के संबंध में जो भी मुद्दे उठेंगे उन्हें भी निपटायेगी।

5. यह समिति तत्काल प्रभाव से प्रथमतः दो वर्ष के लिये गठित की गई है।

नरेन्द्र नाथ वोहरा, संयुक्त सचिव

(परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च, 1982

संकल्प

सं० वी०-19012/4/79-एम० टी० पी०, एण्ड ओ० पी०--इस मंत्रालय के 19 जनवरी, 1982 के संकल्प संख्या वी०-19012/4/79-एम० टी० पी० एण्ड ओ० पी० को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए क्रम संख्या 9, 12 और 18 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :—

1. स्वास्थ्य सेवा निदेशक, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।
2. विशेष सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
3. स्वास्थ्य सेवा निदेशक, कर्नाटक सरकार, बंगलौर।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

आर० नटराजन, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च, 1982

संकल्प

सं० 48(8)/81 भेड़--भारत सरकार ने निम्नलिखित संसद सदस्यों को दिनांक 22 सितम्बर, 1981 के संकल्प संख्या 48(8)/81-भेड़ के अनुसार पुनर्गठित केन्द्रीय भेड़ विकास परामर्शदात्री परिषद के सदस्यों के रूप में नामजद करने का निर्णय लिया है :--

1. श्री के० डी० एस० मणि, सदस्य, लोक सभा, 218, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।
2. श्री चतुर्भुज, सदस्य, लोक सभा, 61, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।
3. श्री एम० बासवाराजू, सदस्य, राज्य सभा, 93, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी राज्य क्षेत्र के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

टी० एस० कोहली, अपर सचिव

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1982

संकल्प

सं० 2(17)/80-बा० नि०—संसद ने सिंचाई जल-विद्युत, नौसंचालन तथा अन्य लाभकारी प्रयोजनों के लिये ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों के विकास तथा उपयोग को ध्यान में रखकर, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ों तथा तट कटाव के नियन्त्रण और जलनिकास के सुधार हेतु एक व्यापक (मास्टर) योजना तैयार करने के बाद ब्रह्मपुत्र बोर्ड गठित करने के लिए सितम्बर, 1980 में एक अधिनियम बनाया है। यह बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बहुप्रयोजनों परियोजनाओं के निर्माण का कार्य भी हाथ में ले सकता है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जो सिंचाई मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है, का गठन 31 दिसम्बर, 1981 किया गया है।

1980 के ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, के अनुसरण में गठित सांविधिक बोर्ड के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त एक पुनरीक्षण बोर्ड गठित करने का निर्णय किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(1) केन्द्रीय सिंचाई मंत्री	अध्यक्ष
(2) मुख्य मंत्री, असम	सदस्य
(3) मुख्य मंत्री, मणिपुर	सदस्य
(4) मुख्य मंत्री, मेघालय	सदस्य
(5) मुख्य मंत्री, नागालैण्ड	सदस्य
(6) मुख्य मंत्री, त्रिपुरा	सदस्य
(7) मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
(8) मुख्य मंत्री, मिजोरम	सदस्य
(9) केन्द्रीय वित्त मंत्री/वित्त राज्य मन्त्री	सदस्य
(10) केन्द्रीय सिंचाई राज्य मंत्री	सदस्य
(11) केन्द्रीय विद्युत मंत्री/विद्युत राज्य मंत्री	सदस्य
(12) केन्द्रीय कृषि मंत्री/कृषि राज्य मंत्री	सदस्य
(13) केन्द्रीय परिवहन मंत्री/परिवहन राज्य मंत्री	सदस्य
(14) सचिव, सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(15) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
(16) अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड	सदस्य-सचिव

सदस्य (बाढ़), केन्द्रीय जल आयोग, बोर्ड की बैठकों में स्थायी रूप से आमन्त्रित होंगे।

बोर्ड व्यापक नीतियां निर्धारित करेगा और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कुशल कार्यचालन के लिए उसके कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

बोर्ड कार्यवाही के लिए अपने नियम बनाएगा। बोर्ड का मुख्यालय गौहाटी में होगा।

बोर्ड को सचिवालय संबंधी सहायता अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गौहाटी द्वारा प्रदान की जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी सचिव और सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री के कार्यालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना, आयोग और ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग), कृषि मंत्रालय, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), गृह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, निर्माण और आवास मंत्रालय को सूचनार्थ भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए वे सामान्य सूचना के लिए इसे राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करें।

सु० कु० अग्रवाल संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

New Delhi, the 24th April 1982

Rules

No. 6/9/82-CS(1).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1982 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Grade IV (Assistants) of general Cadre of the Indian Foreign Service (B).

(ii) Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service.

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service.

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service; and

(v) Posts of Assistant in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B) Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service.

1. A candidate may compete in respect of any one or more of the Service/posts mentioned above.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice Board issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951 (as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists) (Modification) Order, 1956, the Bombay reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976) the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes, Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination. The restriction is effective from the examination held in 1962.

Note 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

Note 2.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

Note 3.—Notwithstanding the disqualification/cancellation, the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6.(a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January, 1982 i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1957 and not later than 1st January, 1962.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs/Stenographers Grade D with not less than 3 years continuous and regular service on 1st January, 1982 in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the Office of the Election Commission and the Central Vigilance Commissioner in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

Candidates holding posts, which are not designated as LDC/UDC/Stenographers Grade D will not be eligible for age relaxation under this sub-rule, even though the posts held by them are in identical pay scale.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable:—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person, from erstwhile East Pakistan (Now Bangla Desh) and had migrated to India during the period 1st January 1964 and 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964.

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963,

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Repuoic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona-fide repatriate or Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes and is also a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin (Indian passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) up to a maximum of five years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment; who belong to the Scheduled Cates or the Scheduled Tribes.

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

Note:—The candidature of a person who is admitted to the examination under Rule 6(b) shall be cancelled if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his Department either before or after taking the examination. He will, however continue to be eligible, if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

An L.D.C./U.D.C./Stenographer Grade D who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from where he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

Note I.—Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equavalent to professional and technical degrees will also be eligible for admission to the examination.

Note II.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commissions examination but have not been informed of the result as also the candidates who intended to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

Note III.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service whether in a permanent or in temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or daily rated employees, or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate of admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script (s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred, either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination;

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preference expressed by a candidate for various Services/posts in the detailed application form which will be supplied to him by the Commission if he is declared finally qualified on the result of the examination.

16. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

17. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

18. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to considered for appointment will be medically examined.

20. Success at the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

21. Conditions of Service for Assistants in the Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Central Secretariat Service, and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix II.

S. R. AHIR, Under Secy.

APPENDIX I

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Sl. No.	Subject	Code No.	Max. Marks	Time Allowed
1.	Essay . . .	01	100	2 hours
2.	English in two parts (I&II)		200	3 hours
	Part I- . . .	02		1 hours
	Part II— . . .	03		2 hours
3.	Arithmetic . .	04	100	2 hours
4.	General Knowledge including Geography of India	05	100	2 hours

N.B.—In the case of paper English, if a candidate does not reach the Examination Hall within the permissible time limit and is not admitted to the examination in Part I of the paper, he will not be entitled to be admitted to Part II of the paper.

2. The question papers in English Part I, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India will consist of objective type questions.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 3 or Paper 4 or all the three papers, either in Hindi (Devanagari) or in English, Paper 2 must be answered in English by all candidates, Question papers in Essay, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India, will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in col 6 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper(s) of such candidates will not be valued.

Candidates who opt to answer any of the papers in Hindi (Devanagari) may if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for each subject will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in Essay and English Part II of the examination.

10. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

11. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

12. Candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They *should not*, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) *Essay* (Code No. 01)—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) English :

English Part I (Code No. 02)—Paper will be designed to test the candidates' ability to understand English and write in that language correctly and effectively.

English Part II (Code No. 03)—Paper will consist of questions designed to test candidates ability to write good English and for precis writing.

(3) *Arithmetic* (Code No. 04)—There will be greater emphasis on understanding of numbers, graphs, elementary statistics and arithmetics.

(4) *General Knowledge including Geography of India* (Code No 05)—Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature, which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

(1) *Indian Foreign Service (B).*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades

in the General Cadre of Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV, are as follows —

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I . .	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and posts abroad	Rs 1200-50-1600
Integrated Grades II & III	Attache and Section Officer at Hqrs. Vice-Consuls and Registras in Missions and Posts abroad.	Rs. 650-30-740-35-810-FB-35-880-40-1000-FB-40-1200
Grade IV . .	Assistants at Hqrs. and in Missions and Posts abroad	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800

NOTE : Assistants promoted to the Integrated Grades II & III are allowed a minimum pay of Rs 710 - p.m.

2. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service or any other Service. Further, all such persons will be liable to serve in any posts either in India or abroad to which they may be posted.

5. During service abroad, IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS(B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government;

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme;

(iii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules;

(iv) Return single Air Passage to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout the officers's service for emergencies such as the death or serious illness of a near relation in India as may be defined by the Government;

(v) Annual return air passage for children between the ages of 6 and 22 studying in regional educational institution in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions;

(vi) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the ages of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Government subject to certain conditions;

(vii) Outfit allowance Rs. 1,750/- per posting abroad subject to maximum of 8 occasions during the entire career.

6. All Officers appointed to the IFS(B), will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion), Rules 1964 and also by other rules and regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the IFS(B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE : In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 1200-50-1300—60—1600— EB —60—1900—100—2000.

(ii) *The Railway Board Secretariat Service*

The Railway Board Secretariat Service has at present 4 grades as follows :—

1. Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent) Rs. 1500—60-1800—100—2000.

2. Grade I (Under Secretary or equivalent) Rs. 1200—50—1600.

3. Section Officers Grade.—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

4 Assistants Grade—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE : Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum of Rs. 710 p.m.

Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharge from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

Persons recruited to Assistant's Grade of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

The Railway Board Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Service.

Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) Will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they joined the service.

The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Service will be entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Service are treated in the same way as other railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) *Central Secretariat Service*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)—Rs. 1500-60—1800—100—2000.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)—Rs. 1200—50—1600

(3) Section Officers Grade—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(4) Assistants Grade—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 710 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in any other cadre.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

Grade	Scale of pay
(1) Selection Grade (Joint Director or Senior Civilian Staff Officer) (Group A)	Rs. 1500-60-1800.
(2) Civilian Staff Officer (Group A)	Rs. 1100-50-1600.
(3) Assistant Civilian Staff Officer (Group B—Gazetted)	Rs. 650-30-740-35 810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.
(4) Assistant (Group B Non-Gazetted)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

NOTE.—An officer of the Grades of Assistant promoted to Grade of Assistant, Civilian Staff Order shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 710/—in the scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistant will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 29th January 1982

RESOLUTION

No. V.19012/4/79-MTP&OP.—In supersession of the Ministry of Health & Family Welfare Resolution No. N.11014/4/77-Ster. dated 15th September, 1977, the Government of India has decided to reconstitute the Committee to advise Government on all technical problems connected with Family Welfare Programme in the field.

2. The composition of the reconstituted committee shall be as follows :

CHAIRMAN

1. Addl. Secretary & Commissioner (FW)

MEMBERS

2. Director General of Health Services
3. Director,
   National Institute of Health & Family Welfare
   New Delhi.
4. Director General,
   Indian Council of Medical Research
   New Delhi.
5. President,
   Federation of Obst. & Gynaecological
   Society of India or his/her Representative.
6. President,
   Surgeons Association of India or his Representative.
7. President,
   Indian Medical Association or his Representative.
8. President,
   All India Paeditrics Association or his Representative.
9. Dr. Balaraman,
   Director of Health Services,
   Kerala, Trivandrum.
10. Dr. B. M. Sharma,
    Director of Health Services,
    Rajasthan, Jaipur.
11. Dr. R. P. Soonawala,
    Nowrosjee Wadia Maternity Hospital,
    Acharya Donde Marg, Parel,
    Bombay.
12. Dr. S. N. Gupta,
    Special Secretary (Health Deptt.)
    Government of Uttar Pradesh,
    Lucknow.
13. Dr. (Miss) M. Kochhar,
    Medical Superintendent
    Kasturba Hospital,
    Delhi.
14. Dr. (Miss) Leela Phatak,
    Near Jail, Gwalior,
    Madhya Pradesh.
15. Dr. Deepak Bhatia,
    Adviser,
    Family Planning Foundation,
    New Delhi.
16. Dr. (Mrs.) Susan George,
    St. Thomas Mission Hospital,
    Kottayam, Kerala.
17. Dr. Atam Prakash,
    Prof. of Surgery,
    All India Institute of Medical Sciences,
    New Delhi.
18. Dr. J. S. Saksena,
    Director of Health Services,
    Karnataka, Bangalore.
19. Dr. I S. Patil,
    Vice-chairman,
    Indian Medical Association,
    Karnataka, Belgaum.

20. M. D. Saigal,
Deputy Director General

21. Deputy Commissioner (MCH),

MEMBER SECRETARY

22. Dr. S. N. Mukherjee,
Deputy Commissioner

3. The terms of reference of the Committee shall be to consider and advise Government on all problems including administrative, organisational and technical aspects connected with Family Welfare Programme in the field with particular reference to IUD and Sterilisation procedures, M.T.P. and Oral Contraceptives.

4. The Committee shall have power to coopt/invite experts of the concerned aspects of the programme to attend its meetings.

5. The life of the Committee shall be two years.

6. The official members of the Committee will draw TA/DA in connection with meetings of the Committee according to rules by which they are governed and expenditure met from the source they drawn their salaries. TA/DA of non-official members will be regulated according to the provisions of S.R. 190 and orders issued their under as contained in Appendix 10 to the Swamy's compilation of F.R. and S.R. Part I & II.

7. The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget grant under Demand No. 46—Family Welfare, Major Head 281 A-Family Welfare, A-1 Direction and Administration, A-1(1) Technical Wing at Headquarters A-1(1) 3-Travel Expenses 1981-82

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments,

ORDERED also that the Resolution be published in Gazette of India for General Information.

J. S BAJAL
Additional Secy. & Commissioner (FW)

New Delhi, the 2nd March 1982

RESOLUTION

No V-19012/4/79-MTD&OP.—In partial modification of this Ministry's Resolution No V.19012/4/79-MTP&OP dated 19th January, 1982 Sl. No. 9, 12 and 18 may be read as follows :—

1. Director of Health Services, Government of Kerala, Trivandrum.
2. Special Secretary, Health Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
3. Director of Health Services, Government of Karnataka, Bangalore.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information.

R. NATARAJAN, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 16th February 1982

No. L-19015/9/81-IH.—The Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs have signed with the USAID authorities an Agreement for $ 20 million assistance to private voluntary organisations in the Health Sector. In pursuance of Section 4.1(c) of the said Agreement the Government of India have decided to constitute a Grants Committee with the following members :

CHAIRMAN

1. Shri S. S. Sidhu,
Secretary,
Health & F.W.

MEMBERS

2. Dr. I. D. Bajaj,
Director General of Health Services.
3. Shri R. R. Gupta
Financial Adviser,
Ministry of Health & Family Welfare.
4. Shri U. Vaidyanathan,
Adviser (Health)
Planning Commission.
5. Shri Yogesh Chandra,
Jt. Secretary,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance.
6. Shri M. S Dayal
Jt. Secretary,
Ministry of Social Welfare.
7. Deputy Secretary,
Ministry of Health & Family Welfare,
In-charge of Project Secretariat.

2. The Committee shall have powers to co opt other official members as may be considered necessary.

3. The Committee shall have the following functions :—

(i) to advise the Secretariat regarding the inviting of applications for sanction of sub-grants;

(ii) to consider applications from private voluntary organisations in the field of Health and Family Welfare and decide the quantum and phasing of sub-grants;

(iii) to decide the release of sub-grants when one or more sub-grant proposals have been processed by the Secretariat; and

(iv) to evolve a suitable mechanism for the monitoring and evaluation of the projects assisted by sub-grants.

NOTE :—The word 'Secretariat' in (i) and (iii) refers to the special administrative section envisaged to be established to administer the Project .

3. The Grants Committee shall be the approving body for all sub-grant awards and have over-all responsibilities for the implementation of the Agreement. It shall also have over-all responsibility for the monitoring and evaluation of assisted projects and, besides, deal with all such matters, as may arise, in connection with the administration of the project.

4. The Committee has been constituted with immediate effect for a period of two years, in the first instance.

(No. L-19015/9/81-IH)

N. N. VOHRA, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPN.

New Delhi, the 17th March 1982

RESOLUTION

No. 48-(8)/81-SHEEP.—The Government of India have decided to nominate the following Members of Parliament as Members of the Central Sheep Development Advisory Council, as reconstituted vide this Ministry's Resolution No. 48 (8)/81-SHEEP dated 22nd September, 1981.

1. Shri K. B. S. Mani,
Member-Lok Sabha,
218, North Avenue,
New Delhi.
2. Shri Chaturbhuj,
Member-Lok Sabha,
64, North Avenue,
New Delhi.
3. Shri M. Basavaraju,
Member-Rajya Sabha,
93, South Avenue,
New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Deptts. of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Sectt., Prime Minister's Sectt., Lok Sabha Sectt. and Rajya Sabha Sectt.

2. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. S. KOHLI
Addl. Secy

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 19th March 1982

RESOLUTION

No. 2(17)/80-FC/460.—The Parliament has enacted an Act in September 1980 for constituting the Brahmaputra Board to prepare a Master Plan for control of floods and bank erosion and improvement of drainage in the Brahmaputra Valley keeping regard to the development and utilisation of the water resources of the Brahmaputra Valley for irrigation, hydro-power, navigation and other beneficial purposes. The Board may also take up construction of the multipurpose projects as approved by the Central Government. The Brahmaputra Board, an autonomous Statutory Body, under the Ministry of Irrigation, has been constituted with effect from 31st December, 1981.

It has been decided to constitute a high-powered Review Board to oversee the work of the Statutory Board constituted in pursuance of the Brahmaputra Board Act of 1980, consisting of the following :—

CHAIRMAN

(i) Union Minister for Irrigation

MEMBERS

(ii) Chief Minister of Assam

(iii) Chief Minister of Manipur

(iv) Chief Minister of Meghalaya

(v) Chief Minister of Nagaland

(vi) Chief Minister of Tripura

(vii) Chief Minister of Arunachal Pradesh.

(viii) Chief Minister of Mizoram

(ix) Union Minister/Minister of State for Finance.

(x) Union Minister of State for Irrigation.

(xi) Union Minister/Minister of State for Power.

(xii) Union Minister/Minister of State for Agriculture.

(xiii) Union Minister/Minister of State for Transport.

(xiv) Secretary,
Ministry of Irrigation,
Government of India.

(xv) Chairman,
Central Water Commission.

MEMBER-SECRETARY

(xvi) Chairman,
Brahmaputra Board,

Member (Floods), Central Water Commission, will be a permanent invitee to the meetings of the Board.

The Board will lay down broad policies and oversee the work of the Brahmaputra Board for its efficient functioning.

The Board will frame its own Rules of Business. The head-quarters of the Board will be Gauhati.

The Secretariat assistance to the Board will be provided by the Chairman of the Brahmaputra Board, Gauhati.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the concerned States/Union Territories, the Private Secretary and Military Secretary to the President, Prime Minister's Office, Comptroller and Auditor General of India, Planning Commission and the Ministries of Energy (Department of Power), Agriculture, Shipping and Transport, Finance (Deptt. of Expenditure), Home Affairs, Railways, Works and Housing for information.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Governments concerned may be requested to publish it in the State Gazette for general information.

S. K. AGGARWALA
Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982